न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1675/विधि सहरसा, दिनांक 09-6-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-62/2020 में दिनांक-08.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-06/2020 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-03 पृ0 तथा संलग्न कागजात-107 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती रेणु कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार / ईशा कुमारी पति-रंजय कुमार दोनों सा0-भर्राही बाजार पंचायत-मदनपुर, वार्ड नं0-03, थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल-मधेपुरा, ग्राम-भर्राही बाजार, पंचायत-मदनपुर, वार्ड नं0-03, स्थित अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-250 हेतु आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वादी विपक्षी सं0-01 तथा अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया। सभी आवेदकों का मेधासूची तैयार किया गया, जिसमें वादी रेणु कुमारी का नाम सर्वाधिक अंक-66.28% होने के कारण क्रमांक-01 पर था। दिनांक 15.02.2020 को सेविका चयन हेतु आमसभा की गई, जिसमें वादी भी उपस्थित थी। नियमानुसार मेधासूची तैयार की गई, जिसमें रेणु कुमारी का नाम क्रमांक-01 पर था, किन्तु विपक्षी सं0-02, महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा नियमविरूद्ध तथा गलत ढंग से उक्त केन्द्र के सेविका के पद पर विपक्षी सं0-01 का चयन कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी के द्वारा दिनांक 15.02.2020 तथा 19.02.2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदन दिया गया। उनके द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने पर वादी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS),

बी १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से..तक

जिला.., सं०.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-62/2020

रेणु कुमारी............................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य...........................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद रेणु कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार, ग्राम-भर्राही बाजार, पंचायत-मदनपुर, वार्ड नं0-03, प्रखंड वो जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के आँगनबाड़ी वाद सं0-06/2020 श्रीमती रेणु कुमारी बनाम ईशा कुमारी एवं अन्य में दिनांक 18.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ईशा कुमारी के सेविका पद पर किये गये चयन को यथावत रखते हुए वादी रेणु कुमारी के द्वारा दाखिल वाद को खारिज किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल-मधेपुरा, ग्राम-भर्राही बाजार, पंचायत-मदनपुर, वार्ड नं0-03, स्थित अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-250 हेतु आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वादी विपक्षी सं0-01 तथा अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया। सभी आवेदकों का मेधासूची तैयार किया गया, जिसमें वादी रेणु कुमारी का नाम सर्वाधिक अंक-66.28% होने के कारण क्रमांक-01 पर था। दिनांक 15.02.2020 को सेविका चयन हेतु आमसभा की गई, जिसमें वादी भी उपस्थित थी। नियमानुसार मेधासूची तैयार की गई, जिसमें रेणु कुमारी का नाम क्रमांक-01 पर था, किन्तु विपक्षी सं0-02, महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा नियमविरूद्ध तथा गलत ढंग से उक्त केन्द्र के सेविका के पद पर विपक्षी सं0-01 का चयन कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी के द्वारा दिनांक 15.02.2020 तथा 19.02.2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदन दिया गया। उनके द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने पर वादी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS),

मधेपुरा को उक्त नियम विरुद्ध चयन के लिए आवेदन दिये जाने पर उनके द्वारा पत्रांक 348 दिनांक 24.02.2020 से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में उनके द्वारा कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका निभा कुमारी को उक्त बैठक के दस्तावेजों / कागजातों के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के समक्ष उपस्थित होने के लिए भेजा गया। तत्पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा विभागीय सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका-12 के अनुसार आँगनबाड़ी वाद सं0-06/2020 के तहत उभय पक्षों को दिनांक 18.06.2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त वाद में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18.07.2020 को आदेश पारित किया गया तदनुसार प्रतिवादी के चयन को यथावत रखा गया। वादी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के उक्त आदेश में स्वीकार किया गया है कि दिनांक 15.02.2020 की आमसभा में वादी उपस्थित थी तथा मेधासूची में उनका नाम क्रमांक-01 पर था। मैपिंग पंजी के क्रमांक-131 पर आवेदक रेणु कुमारी का नाम था तथा रेणु कुमारी के द्वारा वार्ड नं0-03 का निवासी होने के समर्थन में अनेकों दस्तावेजों / साक्ष्य समर्पित किया गया यथा- 1. निवास प्रमाण-पत्र (अंचल अधिकारी, मधेपुरा) द्वारा निर्गत दिनांक 24.01.2018. 2. राशन कार्ड 3. 2016 के पंचायत चुनाव का वोटर कार्ड 4. अपने पति का पासपोर्ट की छायाप्रति 5. मदनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र 6. रेणु कुमारी का आधार कार्ड आदि। वादी के द्वारा बताया गया कि आमसभा की कार्यवाही पंजी में उल्लेखित है कि रेणु कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार का नाम 2016 की मतदाता सूची में वार्ड नं0-03 में अंकित है, जिसे चयन समिति द्वारा स्वीकार किया गया किन्तु विपक्षी सं0-01 एवं 02 के प्रभाव में उनका चयन नहीं किया गया। वादी के अनुसार विपक्षी सं0-01 के द्वारा कुछ पंचों तथा ग्रामीणों का हस्ताक्षरयुक्त एक आवेदन दिया गया कि वादी वार्ड नं0-03 की निवासी नहीं है तथा साक्ष्य के स्वरूप जमीन का विक्रय विलेख (Sale Deed) संलग्न किया गया। वादी का कहना है कि सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019 में स्पष्ट वर्णित है कि आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड निवासी तथा मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति /ससुर का नाम मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्ति वाले वार्ड में है, वह वहाँ रह रही हैं, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव / नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में किसी कारण से छूट गया है, तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव /अंतिम नगर

निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए। वादी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा सुनवाई के क्रम में पत्रांक 1078 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा अंचल अधकारी, मधेपुरा से उनके निवास के संबंध में स्थल जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, तदनुसार अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन किया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँचोपरान्त प्रमाणित किया गया है कि रेणु कुमारी मानिकपुर की निवासी है। उनके पड़ोसी श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता का दावा है कि मेरा घर रेणु कुमारी के घर के उत्तर-दक्षिण स्थित है। वादी के अनुसार अंचल अधिकारी, मधेपुरा के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर मार्गदर्शिका को संज्ञान में लिये बिना तथा सम्पूर्ण तथ्यों का सत्यापन किये बिना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया गया। तदालोक में वादी के द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षी सं0-01 के चयन को रद्द करने तथा प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के पद पर उनका चयन करने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य के रूप में वादी के द्वारा मैपिंग पंजी मेधासूची, मुखिया ग्राम पंचायत-मदनपुर का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग आय प्रमाण-पत्र लोकसभा आम चुनाव, 2019 की मतदाता पर्ची, राशन कार्ड की छायाप्रति, बिजली बिल की छायाप्रति, मतदाता फोटो पहचान-पत्र, भर्राही बाजार ग्राम पंचायत-मदनपुर का वोटरलिस्ट आदि साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है।

विपक्षी सं0-01, ईशा कुमारी की ओर से दाखिल लिखित बहस में बताया गया कि अपीलार्थी रेणु कुमारी का घर एवं आवास मौजा-मानिकपुर, वार्ड नं0-02 में अवस्थित है, जबकि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-250 मदनपुर पंचायत के वार्ड नं0-03 में पड़ता है तथा विपक्षी सं0-01 वार्ड नं0-03 की निवासी है। उनका कहना है कि मदनपुर पंचायत वार्ड नं0-03 के सदस्य वो ग्राम कचहरी के पंच, वार्ड नं0-03 सहित अनेकों ग्रामीणों ने भी आमसभा में विपक्षी सं0-01 का आवास मदनपुर वार्ड नं0-03 में होने का बतलाया गया है। उनके अनुसार नियमावली के मुताबिक आवेदनकर्त्ता का आवास वार्ड के अन्तर्गत होना जरूरी है, जो अपीलार्थी का नहीं है। उनका कहना है कि अपीलार्थी वार्ड नं0-03 के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-250 के पोषक क्षेत्र के अन्दर निवास नहीं करती है, जिस वजह से भी अपीलार्थी का चयन नहीं कर विपक्षी सं0-01 का चयन आमसभा के द्वारा किया गया तथा निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा भी पक्षकारों को सुनकर सुनवाई के समय प्रत्येक बिन्दु पर गहन समीक्षोपरान्त मुखर आदेश पारित किया गया है, जो सही है। विपक्षी सं0-01

के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी पूर्व से ही फर्जी वो जाली वो कुट रचना कर कागजात सृजित किये वो उसी प्रकार पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0-03 में अपीलार्थी का कोई निवास नहीं रहने के बावजूद मैंपिंग पंजी में गलत क्रमांक दिलवाये हैं। उनके अनुसार अपीलार्थी वर्ष 2016 के निर्वाचन नियमावली के क्रमांक-10 पर रेणु कुमारी का नाम होने का दावा करती है जबकि उनके किसी भी पारिवारिक अन्य सदस्य का नाम निर्वाचन नामावली में नहीं रहने से ही अपीलार्थी के कृत्य का स्पष्टीकरण होता है। उसी प्रकार अन्य दस्तावेज भी फर्जी रूप से तैयार किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की आवासीय भूमि तथा घर का सत्यापन प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त कर अपीलार्थी का आवासीय वो रहन-सहन माणिकपुर पंचायत वार्ड नं0-02 होने के आधार पर दिनांक 18.07.2020 को मुखर आदेश पारित कर चयनित सेविका ईशा कुमारी के चयन को सही करार देते हुए अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज कर दिया गया है। उनके अनुसार निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही वो दुरूस्त है। उनके द्वारा वर्तमान मुखिया रेणु देवी, ग्राम पंचायत मदनपुर तथा संबंधित वार्ड सदस्य एवं पंच के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र को उद्धृत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी रेणु कुमारी, पति-मृत्युंजय कुमार का आवासीय घर वार्ड नं0-03 मदनपुर में नहीं होने तथा अपीलार्थी के आवासीय घर माणिकपुर पंचायत में अपने ससुर के साथ रहने की बात अंकित है। तदालोक में विपक्षी सं0-01 के द्वारा वादी द्वारा दाखिल प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0-01 के द्वारा साक्ष्य के रूप में आम जनता के द्वारा हस्ताक्षरित एवं वार्ड नं0-03 के वार्ड सदस्य का हस्ताक्षरयुक्त रेणु कुमारी वार्ड नं0-03 का निवासी नहीं होने संबंधी आवेदन, वर्तमान मुखिया का प्रमाण-पत्र, माणिकपुर पंचायत में रेणु देवी का राशन कार्ड, महिला पर्यवेक्षिका का प्रतिवेदन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के पत्रांक 1078 दिनांक 06.07.2020 के आलोक में अंचल कार्यालय का पत्रांक 988-2 दिनांक 18.07.2022 संलग्न किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, मधेपुरा के द्वारा वादी का निवास स्थान प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र से बाहर होना प्रतिवेदित किया गया है। तदालोक में निम्न न्यायालय का आदेश आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2019 की कंडिका-5 के प्रावधानों के अनुरूप तथा सही है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ

	वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय। 8/6/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। 8/6/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	